2021/362

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी:– अर्जुनराम पुत्र स्व. रामबक्ष जाति धायल जाट निवासी मावां उपतहसील मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थी:– शिवकरण पुत्र अर्जुनराम जाति धायल जाट निवासी मावां, उपतहसील मौलासर तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान वगैरह।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या.129.सन्–.....2021..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
06.08.2021	प्रार्थी अर्जुनराम पुत्र स्व. रामबक्ष जाति धायल जाट निवासी मावां उपतहसील मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थी शिवकरण पुत्र अर्जुनराम जाति धायल जाट निवासी मावां, उपतहसील मौलासर तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान वगैरह ने पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद मावां के खसरा सं0 136, 137, 138 में नजरी नक्शा अनुसूचि में दर्शित मार्क I से J पर दिवार का निमार्ण कार्य में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अदाजी/बाधा उत्पन्न नही करें व मौके व रिकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 22.09.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
13/8/21	अप्रार्थी सं0 01 की तरफ से वकील श्री हरदेवराम [illegible] ने वकालतनामा व नकल [illegible] तारीख पेशी का आवेदन पेश किया। नकल [illegible] प्रार्थी [illegible] वास्ते जवाब [illegible] 13/10/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:11:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

129/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/6/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को बार-बार पुकार लगाई गई परन्तु पुकार के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:11:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner